भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3435
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण वितरण में विलंब

3435. **श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ऋण संबंधी स्वीकृति और वितरण में होने वाले निरंतर और अत्यधिक विलंब की जांच की है, जिसमें आवेदन से लेकर अंतिम वितरण तक लगने वाले औसत समय का जिला-वार ब्यौरा भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नंदुरबार, गढ़चिरौली, पालघर जैसे जनजातीय जिलों और नासिक के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में पीएमईजीपी संबंधी आवेदन दीर्घ अवधि से लंबित हैं, जिससे लागत में वृद्धि, लाभार्थियों द्वारा नाम वापस लेने और स्वीकृतियों का कार्यात्मक उद्यमों में कम रूपांतरण हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जनजातीय जिलों में ऋण अस्वीकृति की दर, बार-बार दस्तावेजों की मांग और बैंक-वार निष्पादन से संबंधित आंकड़े संकलित किए गए है;

(घ) महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में बैंक मूल्यांकन में संरचनात्मक बाधाओं, ऋण के प्रति अरुचि और अंतर-अभिकरणीय समन्वय की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या जनजातीय क्षेत्रों में पीएमईजीपी द्वारा ऋण की समयबद्ध, पारदर्शी और समावेशी स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य-विशिष्ट जवाबदेही और निगरानी तंत्र का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है और महाराष्ट्र के जनजातीय तथा अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों सहित देश भर में ऋण स्वीकृति और वितरण में देरी सहित इसके कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद संबंधित वित्तपोषक बैंकों द्वारा परियोजनाओं की अंतिम स्वीकृति और ऋण जारी किया जाता है। ऋणों की उचित स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकें और जिला स्तरीय बैंकर्स बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य स्तर की निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठकें नियमित रूप से राज्य और जिला स्तर पर आयोजित की जाती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ऋण संस्वीकृति के बाद ऋण संवितरण का औसत बदलाव समय राष्ट्रीय स्तर पर वित्त वर्ष 2023-24 में 42 दिनों से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 27 दिन हो गया है।

(ग): पीएमईजीपी के अंतर्गत, स्कीम के प्रमुख कार्यनिष्पादन मापदंडों में बैंक-वार कार्यनिष्पादन, आवेदनों की अस्वीकृति दर और महाराष्ट्र के जनजातीय जिलों सहित देश भर में बैंकों आदि द्वारा दर्ज अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को ऑनलाइन पीएमईजीपी पोर्टल के माध्यम से ट्रैक और संकलित किया जा रहा है।

(ङ) और (च): पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंक मूल्यांकन, ऋण विमुखता और राज्य-विशिष्ट निगरानी तंत्र सहित अंतर-एजेंसी समन्वय में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए हालिया कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ऋणों की उचित संस्वीकृति और मार्जिन मनी संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष स्तर की बैंकर बैठकें, राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकें और जिला स्तरीय बैंकर्स बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

ii. पीएमईजीपी के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य स्तर की निगरानी समिति और जिला स्तर की निगरानी समिति की बैठकें नियमित रूप से राज्य और जिला स्तर पर आयोजित की जाती हैं।

iii. बैंकों द्वारा पीएमईजीपी आवेदनों को अस्वीकार करने के आधार के रूप में कारण अर्थात "सेवा क्षेत्र से बाहर" और "लक्ष्य प्राप्त" को हटाना और बैंकों द्वारा अस्वीकृति कारणों की समीक्षा करना।

iv. प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई हैं और पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।

v. भावी लाभार्थियों को चिह्नित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन और पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आयोजित आवेदक जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों में बैंकों की नियमित भागीदारी।

vi. भावी उद्यमियों को पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में शिक्षित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

*****